बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: संकल्प ::-

संचिका संख्या-स०क०स्था०(क्षे०)-32/2024-6308 /जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के पत्रांक-173/स्था० दिनांक-20.08.2024 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्रीमती सरनप्रीत कौर, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, पश्चिम चम्पारण अपनी अस्वस्थता के दृष्टिगत स्वास्थ्य की स्थिति को संदर्भित करते हुए अपने कर्तव्य से दिनांक-01.04.2022 से लगातार दिनांक-08.09.2023 तक अनुपस्थित थीं तथा दिनांक-09.09.2023 को उनके द्वारा अपने पद पर योगदान समर्पित किया गया। पश्चात दिनांक-03.10.2023 से लगातार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रही है। विभागीय पत्रांक-5059, दिनांक-09.10.2024 द्वारा उन्हें अपने कर्तव्य पर लौटने का निदेश दिये जाने के बावजूद वह अपने कर्तव्य पर नहीं लौटी और विभागीय निदेश का भी उल्लंघन की है।

श्रीमती कौर द्वारा स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी लेने के आलोक में विभागीय पत्रांक-6033 दिनांक-21.11.2024 के द्वारा अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना से मेडिकल बोर्ड गठित करते हुए श्रीमती सरनप्रीत कौर के स्वास्थ्य की जाँच करते हुए उनके उक्त समस्या के संदर्भ में वस्तुस्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही विभागीय नोटिस संख्या-6078 दिनांक-21.11.2024 के द्वारा श्रीमती कौर को मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होने का निदेश दिया गया। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-233 दिनांक-14.01.2025 के द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक-21.12.2024 को चिकित्सा पर्षद की बैठक किया गया था किन्तु श्रीमती कौर उपस्थित नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस प्रकार इनके द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित न होना।

विभागीय अधिसूचना संख्या-5103, दिनांक-30.06.2025 के द्वारा श्रीमती सरनप्रीत कौर का स्थानांतरण पश्चिमी चम्पारण से शेखपुरा किया गया। परन्तु जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-571, दिनांक-18.08.2025 द्वारा प्राप्त पत्र में प्रतिवेदित किया गया कि श्रीमती कौर अधिसूचित स्थान शेखपुरा में अपना योगदान समर्पित नहीं की है। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय का पांक-935, दिनांक-21.08.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री सरनप्रीत कौर का स्थानांतरण, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, शेखपुरा के पद पर किया गया था, परन्तु वर्तमान में वहां सेवा में नहीं हैं। विभागीय पत्रांक-4074 दिनांक-24.07.2026 द्वारा सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय कोषांग, शेखपुरा के पद पर योगदान देने हेतु अंतिम अवसर प्रदान करने से संबंधित सार्वजनिक सूचना प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी।

विभागीय पत्रांक-1070 दिनांक-21.02.2026 द्वारा श्रीमती सरनप्रीत कौर से स्पष्टीकरण की मॉग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती कौर द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्रीमती कौर से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कौर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-4077 दिनांक-24.07.2026 द्वारा आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17/19 के तहत श्रीमती कौर से बचाव का लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मॉग की गई। जिसके आलोक में श्रीमती सरनप्रीत कौर, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, शेखपुरा (अधिसूचित) के द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-30.08.2026 द्वारा अपना लिखित अभिकथन/बचाव बयान

विभाग को उपलब्ध कराया गया। आरोपित पदाधिकारी (श्रीमती सरनप्रीत कौर) से प्राप्त लिखित अभिकथन के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कौर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उपवर्णित है।

अतः उपर्युक्त के आलोक मे बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 के अन्तर्गत श्रीमती सरनप्रीत कौर के विरूद्ध उक्त आरोपों की जॉच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया तथा आदेश दिया गया कि उक्त नियमावली के नियम-17 में उपबंधित रीति से इनके विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय।

(2) इस विभागीय कार्यवाही के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2)(5)(क) एवं (ग) के अन्तर्गत श्री हरिशंकर राम, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री सुशील कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग को उपस्थापन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(3) श्रीमती कौर से अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी (जांच पदाधिकारी) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवस के बाद विहित किसी भी समय या आगे अनाधिक दस दिनों के भीतर किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) अनुमति दें, उपस्थित हों तथा अपने बचाव का लिखित पक्ष प्रस्तुत करें।

(4) श्रीमती कौर को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कंडिका-(3) में निर्धारित समयावधि में यदि अपने बचाव में वे अपना लिखित पक्ष संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) को प्रस्तुत नहीं करती हैं अथवा उनके समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं अथवा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निदेशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते हैं।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नकों (आरोप-पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति तथा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन) सहित श्री हरिशंकर राम, उप सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

साथ ही इस संकल्प की एक-एक प्रति उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी तथा श्रीमती सरनप्रीत कौर, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, शेखपुरा (अधिसूचित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

9/11/26

संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(क्षे०)-32/2024- 6308 पटना-15 दिनांक :- 09.11.2026

प्रतिलिपि :- (1) संकल्प में निर्दिष्ट आरोप-पत्र तथा साक्ष्यों की प्रति के साथ श्री हरिशंकर राम, उप सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संचालन पदाधिकारी (जॉच पदाधिकारी) से अनुरोध है कि वे विभागीय कार्यवाही का संचालन तुरंत प्रारंभ कर दें तथा अविलंब जॉच पूर्ण कर जॉच प्रतिवेदन 02 (दो) माह के अन्दर समर्पित करने की कृपा करें। कार्यवाही के अभिलेख में आदेश फलक (ऑर्डरशीट) संलग्न रहनी चाहिए।

(2) प्रतिलिपि :- श्री सुशील कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष रखेंगे।

निबंधित

(3) प्रतिलिपि :- श्रीमती सरनप्रीत कौर, सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, शेखपुरा (अधिसूचित) **पत्राचार के पता-** C48, Sector-D-LDA Kanpur Road, Lucknow, Pin code- 226012, Mob. No.-8287184333 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०स्था०(क्षे०)-32/2024- 6308 पटना-15 दिनांक :- 09.11.2026

निबंधित

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर/निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/पश्चिम चम्पारण(बेतिया)/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/26

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।